दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

शुद्धिपत्र

फाइल सं, 20(9)2008/एम.पी, द्वारा असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ जारी की गई दि.वि.प्रा. की सार्वजनिक सूचना सं. एस. ओ. 2217 (ई.) दिनांक 17–9–08 के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

संशोधित सार्वजनिक सूचना निम्नानुसार पढ़ी जाए :–

केन्द्र सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण का दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा–11क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना–2021/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो, तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर प्रधान आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, बी. ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली –110023 को लिखित रूप में भेज सकता है। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे।

संशोधन:

वसंत बिहार, नई दिल्ली (जोन एफ) में 2.052 एकड़ के प्लाट, जो उत्तर में सरकारी भूमि से दक्षिण में 12 मीटर चौडी सड़क से, पूर्व में 8 मीटर चौडी सड़क, मार्किट एंव सरकारी भूमि से और पश्चिम में 12 मीटर चौडी सड़क, मिजोरम गैस्ट हाउस एंव रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विद्यालय से घिरा हुआ है, के भूमि उपयोग को ''आवासीय'' से ''सार्वजनिक एंव अर्ध–सार्वजनिक'' सुविधाओं में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधंन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उक्त अवधि के दौरान सभी कार्य–दिवसों में संयुक्त निदेशक (मुख्य योजना) कार्यलय, छठा तल, विकास मीनार आई.पी.एस्टेट, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली में उपलब्ध रहेगा।

दिनांक : 15.10.2008
सं. एफ 20(9)2008/एम.पी
नई दिल्ली

हस्ता/–
(विश्व मोहन बंसल)
प्रधान आयुक्त एवं सचिव,
दिल्ली विकास प्राधिकरण